

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0

दिनांक.....

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (संलग्न अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड(डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं.	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीयउपभोक्ता मूल्य सूचकांक(आधार वर्ष २००१=१००)
१	२	३	४
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	जुलाई, 2020	336
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	अगस्त, 2020	338
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	सितम्बर, 2020	340.13
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अक्टूबर, 2020	344.16
5	डिस्टीलरी के नियोजन	नवम्बर, 2020	345.31
6	पाट्रीज के नियोजन	दिसम्बर, 2020	342.14
7	बेकरीज एवं कान्फकेशन के नियोजन	कुल	2045.74
8	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	6 माह का औसत	<u>2045.74</u> 6 = 340.95 = 341
9	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	24.10.2019 में पुनर्रक्षित/निर्धारित बिन्दु अर्थात्	301
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	प्रतिशत वृद्धि = $\frac{40 \times 100}{301}$	341 - 301 = 40 बिन्दु 13.29 % की वृद्धि
11	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन		
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन		
13	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		
14	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन		
15	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन		
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन		

230

17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन
18	पेपर उद्योग के नियोजन
19	लॉन्ट्री एवं वॉशिंग के नियोजन
20	होजियारी निर्माण के नियोजन
21	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन
23	उड वर्स एवं फर्नीचर के नियोजन
24	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन
26	फिशरीज के नियोजन
27	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन
28	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन
29	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं विलनिक्स के नियोजन
31	सइक के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन
32	मुद्रणालय के नियोजन
33	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन
34	हैंडलूम उद्योग के नियोजन
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन
36	रिफैक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन
37	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन
38	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन
39	किसी विश्वविधालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन
40	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन
41	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन
42	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन
46	सिलाई उद्योग के नियोजन
47	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन

2532


48	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन		
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन		
50	सीमेंट से हयूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन		
51	कृषि नियोजन		
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन		
53	शीशा उद्योग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक		
54	दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन		
55	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन		
56	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन		
57	ढलाई(फुण्ड्री उद्योग) के नियोजन		
58	बिस्कुट उद्योग के नियोजन		
59	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन		
60	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन		
61	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन		
62	मिनरल ग्राईंडिंग के नियोजन		
63	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन		
64	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन		
65	मोटर गैराज एण्ड वर्कस शॉप के नियोजन		
66	मोटर बाड़ीबिल्डिंग के नियोजन		
67	मेस, कैन्टीन एवं क्लब के नियोजन		
68	चार्टेड/कॉस्ट अक्झन्ट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन		
69	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीच्यूट , निजी स्कूल आदि के नियोजन		
70	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन		
71	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन		
72	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन		
73	ग्राईंडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन		
74	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन		
76	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन		
77	मोबाइल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य		

2532

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-४ में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई से दिसम्बर, 2020 (वर्ष 2020 का द्वितीय अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक- 01.04.2021 की तिथि से देय होगा।

(संख्या-२/ एम०डब्लू०-२०७१/२०१०, श्र० नि० ५१३ राँची, दिनांक १३।०५।२०२१

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


 सरकार के अवार सचिव।
 (+) २०३४
 १३।०५।२१

अधिसूचना

एस० ओ०.....

दिनांक.....

का अँग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खण्ड-३ के अधीन अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-२/ एम०डब्लू०-२०७१/२०१०, श्र० नि० ५१४ राँची, दिनांक १३।०५।२०२१)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

233/1314/21
सरकार के अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O...../

dated

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	2	3	4
1	Dam Construction and Irrigation	July, 2020	336
2	Shops Selling Cooked food stuff	August, 2020	338
3	Tanneries and Leather Manufactory	September, 2020	340.13
4	Cold Storage	October, 2020	344.16
5	Distilleries	November, 2020	345.31
6	Potteries	December, 2020	342.14
7	Bakeries and Confectionaries	Total	2045.74
8	Co-Operative Sector	Average	2045.74
9	Aluminum Industry	Revised /fixed price index no. on-24.10.2019	6 = 340.95 = 341 301 Point
10	Khand sari Industry		341-301 =40 Point <u>40x100</u> 301

		Percentage Increase	=13.29 % की वृद्धि
			39

11	Chemical Pharmaceutical Industry		30
12	Soap Making Industry		37
13	Cement Pre-Stressed Product Industry		36
14	Asbestos Cement factory		35
15	Glass Sheet Industry		34
16	Gun factory		33
17	Religious and Social Industry		32
18	Paper Industry		31
19	Laundry and Washing		30
20	Hosieries Manufacturing		29
21	Manufacture of Sindur and Rang		28
22	Manufacture of leather goods		27
23	Wood work and Furniture		26
24	Ice-cream and Cold drink		25
25	Petrol and Diesel Pump		24
26	Fisheries		23
27	Khadi and Village Industry		22
28	Private Ferrise and L.T.C.		21
29	Hard Coke Oven		20
30	Private Hospital, Nursing		19
31	Construction or maintenance of Road or in building construction		18
32	Printing Press		17
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)		16
34	Handloom Industry		15
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design		13
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry		12
37	Any shop or Establisment		11
38	Public Motor Transport		
39	Any University, Education Research of lultural Institution		

23

40	Hotels, Eating House and Restaurant
41	Any, Woollen Carpet making or Shawl weaving Establishment
42	Dairies and Poultry Farms
43	Auto Mobile Engineering
44	Cinema Industry
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills
46	Tailoring Industry
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry
49	Plastic Industry
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry
51	Employment in Agriculture
52	Book Binding Industry
53	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactury
55	Electronics Industry
56	Plywood Industry
57	Foundry Industry
58	Biscuit Industry
59	Coal Briquette Industry
60	Private Security Agency
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)
62	Mineral Grinding Industry
63	Employment of Sweeping and Cleaning
64	Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots
65	Employment in Motor garages and workshops
66	Employment of Motor Body Building.
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)

233


70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.		
71	Employment in Electricity Generator and supply		
72	Employment in Decoration of Pandal etc.		
73	Grinding and crushing of Mineral ore.		
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.		
75	Computer Coaching Institute etc.		
76	Employment of Mobile Tower etc.		
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976		

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July-December,2020, which is 2nd half of 2020, will be payable from 01.04.2021

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 514 Ranchi, Dated 13/04/2021]

By Order of the Governor of Jharkhand,


Under Secretary to Government


जापांक -२/एम०डब्ल०-२०७२/२०१०श्र०नि०..... ५।३ राँची, दिनांक... १३।०५।२०२१

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५०० प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

२३।
३।०५।२१

सरकार के अवर सचिव।

जापांक-२/एम०डब्ल०-२०७२/२०१०श्र०नि०..... ५।३ राँची, दिनांक..... १३।०५।२०२१

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

२३।
३।०५।२१

सरकार के अवर सचिव।

जापांक-२/एम०डब्ल०-२०७२/२०१०श्र०नि०..... ५।३ राँची, दिनांक..... १३।०५।२०२१

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक, लेबर व्यूरो, शिमला / चण्डीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद(केन्द्रीय) श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/ निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी विभागीय पदाधिकारियाँ(तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

२३।
३।०५।२१

सरकार के अवर सचिव।

अनुसूची-1

क्रमसं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई से दिसम्बर 2018 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई है।	जुलाई, 2020 से दिसम्बर 2020 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर महँगाई भत्ता देय है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (५ - ४)	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महँगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि देनी होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
१	बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं० -1879 दिलांक- 24.10.19	301	341	341-301 =40 बिन्दु अर्थात <u>40 X 100</u> 301 = 13.29 % की वृद्धि	क) रु० 274.81 पर ^{रु० 36.52 प्रतिदिन} ख) रु० 287.90 पर ^{रु० 38.26 प्रतिदिन} ग) रु० 379.51 पर ^{रु० 50.43 प्रतिदिन} घ) रु० 438.39 पर ^{रु० 58.26 प्रतिदिन} <u>मासिक</u> क) रु० 7145.06 पर ^{रु० 949.57 प्रतिमाह} ख) रु० 7485.40 पर ^{रु० 994.80 प्रतिमाह} ग) 9867.26 पर रु० 1311.35 प्रतिमाह घ) रु० 11398.14 पर ^{रु० 1514.81 प्रतिमाह}	दिनांक- 01.04.2021 से देय
२	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन						
३	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	तदैव					
४	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	तदैव					
५	डिस्टीलरी के नियोजन	तदैव					
६	पोट्रीज़ के नियोजन	तदैव					
७	बेकरीज़ एवं कान्फकेशन के नियोजन	तदैव					
८	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	तदैव					

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8
१	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१०	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
११	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१२	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१३	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१४	एसबेस्ट्रेस सीमेंट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१५	उलास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१६	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१७	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१८	पेपर उधयोग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१९	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२०	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२१	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२२	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२३	उड वर्क्स एवं फर्नीचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२४	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२५	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

253

1	2	3	4	5	6	7	8
२६	फिशरीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२७	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२८	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२९	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३०	निजी अस्पताल नसिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३१	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३२	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३३	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३४	हैंडलूम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३५	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३६	रिफैक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३७	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३८	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३९	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४०	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

२३/४

1	2	3	4	5	6	7	8
४१	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४२	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४३	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४४	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४५	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४६	सिलाई उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४७	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४८	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४९	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५०	सीमेंट से हयूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५१	कृषि नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५२	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५३	शीशा उद्योग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५४	दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

३५३

1	2	3	4	5	6	7	8
५५	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५६	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५७	ढलाई(फ़र्मिनी उधयोग) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५८	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५९	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६०	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६१	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६२	मिनरल ग्राईंडिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६३	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६४	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६५	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६६	मोटर बाड़ीबिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६७	मेस, कैंटीन एवं क्लब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६८	चार्टेड/कॉस्ट अकाउन्ट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६९	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग उद्योग इन्स्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७०	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाइप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

253

1	2	3	4	5	6	7	8
७१	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७२	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७३	ग्राइंडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल और के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७४	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राईवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७५	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७६	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७७	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिन १९७६ से आच्छादित नियोजन		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-२/एम०डब्ल्यू०-२०७१/२०१०, श्र०नि०-५१३ राँची, दिनांक १३।०५।२१।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

२३।०५।२१
सरकार के अवर सचिव।

Schedule-I


Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2018 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of July, 2020 to December, 2020 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1879 Date— 24-10-19	301	341 =40 Or <u>40 x100</u> 301 =13.29 %	341-301 =40 Or <u>40 x100</u> 301 =13.29 %	(a) On Rs. 274.81 Rs. 36.52 per day (b) On Rs. 287.90 Rs. 38.26 per day (c) On Rs. 379.51 Rs. 50.43 per day (d) Rs. 438.39 and above Rs. 58.26 per day	From 01.04.2021
2	Shops Selling Cooked food stuff	-Do-				Monthly	
3	Tanneries and Leather Manufactory	-Do-				(a) On Rs. 7145.06 Rs. 949.57 per month	
4	Cold Storage	-Do-				(b) On Rs. 7485.40 Rs. 994.80 per month	
5	Distilleries	-Do-				(c) On Rs. 9867.26 Rs.1311.35 per month	
6	Potteries	-Do-				(d) Rs. 11398.14 and above Rs.1514.81 per month	
7	Bakeries and Confectionaries	-Do-					

23/

	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Co-Operative Sector	-Do-						
9	Aluminum Industry	-Do-						
10	Khandsari Industry	-Do-						
11	Chemical Pharmaceutical Industry	-Do-						
12	Soap Making Industry	-Do-						
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	-Do-						
14	Asbestos Cement factory	-Do-						
15	Glass Sheet Industry	-Do-						
16	Gun factory	-Do-						
17	Religious and Social Industry	-Do-						
18	Paper Industry	-Do-						
19	Laundry and Washing	-Do-						
20	Hosieries Manufacturing	-Do-						
21	Manufacture of Sindur and Rang	-Do-						
22	Manufacture of leather goods	-Do-						
23	Wood work and Furniture	-Do-						
24	Ice-cream and Cold drink	-Do-						
25	Petrol and Diesel Pump	-Do-						
26	Fisheries	-Do-						
27	Khadi and Village Industry	-Do-						
28	Private Ferries and L.T.C.	-Do-						
29	Hard Coke Oven	-Do-						

253

0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	Private Hospital, Nursing	-Do-						
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	-Do-						
32	Printing Press	-Do-						
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	-Do-						
34	Handloom Industry	-Do-						
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design	-Do-						
36	Refractory's, Fire bricks ceramic Industry	-Do-						
37	Any shop or Establishment	-Do-						
38	Public Motor Transport	-Do-						
39	Any University, Educational Research or Cultural Institution	-Do-						
40	Hotels, Eating House and Restaurant	-Do-						
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment	-Do-						
42	Dairies and Poultry Farms	-Do-						
43	Auto Mobile Engineering	-Do-						
44	Cinema Industry	-Do-						
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	-Do-						
46	Tailoring Industry	-Do-						
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	-Do-						
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	-Do-						
49	Plastic Industry	-Do-						



0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	-Do-						
51	Employment in Agriculture	Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
52	Book Binding Industry	Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
53	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board Manufactory	-Do-						
54	Electronics Industry	-Do-						
55	Plywood Industry	-Do-						
56	Foundry Industry	-Do-						
57	Biscuit Industry	-Do-						
58	Coal Briquette Industry	-Do-						
59	Private Security Agency	-Do-						
60	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	-Do-						
61	Mineral Grinding Industry	-Do-						
62	Employment of Sweeping and Cleaning	-Do-						
63	Sponge Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	-Do-						
64	Employment in Motor garages and workshops	-Do-						
65	Employment of Motor Body Building.	-Do-						
66	Employment of Mess, Canteens and Clubs	-Do-						
67	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.	-Do-						
68	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	-Do-						
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)	-Do-						



0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
71	Employment in Electricity Generator and supply	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
76	Employment of Mobile Tower etc.	Notification No-1469, 1470 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

[No-2/MW-2071/2010, L & T-.....513.....Ranchi, Dated 13/04/2021]

By order of the Governor of Jharkhand,

253/1314121
Under Secretary to Government